फैक्स

संख्याः– 288 /1–10–2016–33(28)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक :: 09 मार्च, 2016

विषयः– विगत दिनों प्रदेश के कतिपय जनपदों में हुई ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसलों की क्षति की सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विगत दिनो प्रदेश के कई जनपदों में ओलावृष्टि होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ओलावृष्टि के फलस्वरूप कतिपय जनपदों में कृषि फसलों को क्षति होने की भी आशंका है। उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 के अनुसार ओलावृष्टि से कृषि फसलों को 33 प्रतिशत या 33 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की दशा में निर्धारित मानक एवं दर के आधार पर राहत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति का विस्तृत आंकलन करा लिया जाय । यदि कृषि फसलों की क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक आंकलित होती है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उसका विवरण राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स सं0–0522–2238084, 2236305 एवं ईमेल–rahat@nic.in पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

3– किसानों को राहत प्रदान किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।